रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 246] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 6, 2000/चैत्र 17, 1922
No. 246] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 6, 2000/CHAITRA 17, 1922

जल भूतल परिवहन मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2000

का. आ. 355(अ).—केन्द्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 को उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में क्रम सं. 5ख पर विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4ख को उस अनुसूची से हटाती है।

[फा. सं. एनएच-12037/467/92/डब्ल्यू (एम ए एच)(खंड II)]

प्रफुल कुमार, महानिदेशक
(सड़क विकास) एवं अपर सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 2000

S.O. 355 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of the section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby omits National Highway No. 4B specified against serial number 5B in the Schedule to the said Act from that Schedule.

[F. No. NH-12037/467/92/W (MAH) (Vol. II)]

PRAFULLA KUMAR, Director General
(Road Development) & Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2000

का. आ. 356(अ).—केन्द्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा तत्कालीन परिवहन मंत्रालय में भारत सरकार की दिनांक 4 फरवरी, 1957 की अधिसूचना सं. एस.आर.ओ. 1181 में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम सं. 4 पर कालम 2 में उल्लिखित शब्दों, अंकों और अक्षर "राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4ख, सं. 50" को शब्दों और अंकों "राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 50" से प्रतिस्थापित किया जाए।

[फा. सं. एनएच-12037/467/92/डब्ल्यू (एम ए एच)(खंड II)]

प्रफुल कुमार, महानिदेशक (सड़क विकास) एवं अपर सचिव

पाद टिप्पणी :—मूल अधिसूचना एस आर ओ 1181 दिनांक 4-2-1957 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और इसे दिनांक 6-3-2000 की अधिसूचना सं. सा.आ. 195 (अ) द्वारा पिछली बार संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 2000

S.O. 356 (E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hrerby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Transport, number S.R.O. 1181, dated, the 4th February 1957, namely :—

In the Schedule to the said notification, against Sl. No. 4, in column 2 for the words, figures and letter, "National Highways No. 4B. No. 50" the words and figures "National Highway No. 50" shall be substituted.

[F. No. NH-12037/467/92/W (MAH) (Vol. II)]

PRAFULLA KUMAR, Director General
(Road Development) & Addl. Secy.

Foot Note :—Principal notification published in the Gazette of India S.R.O. 1181, dated 4-2-1957 and last amended vide notification No. S.O. 195(E) dated 6-3-2000.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2000

का. आ. 357(अ).—केन्द्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया गया है, को उक्त तालिका के कालम क्रमश: (1) और (2) में उल्लिखित क्रम सं. और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया माना जाए।

तालिका

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की अनुसूची में क्रम सं.	रा. रा. सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
1	2	3
5ख	4ख	जवाहरलाल नेहरु पत्तन न्यास की आंतरिक सड़क के साथ अपने संधिस्थल से शुरु होकर और पलासपे में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 17 को पार करने के बाद 109 के.मी. के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 के साथ अपने संधिस्थल पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
5ग	4ग	कलामबोली के समीप 116 कि.मी. में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 के साथ अपने संधिस्थल से शुरु होकर 16.687 कि.मी. के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 4ख के साथ अपने संधिस्थल पर समाप्त होने वाला सम्पर्कमार्ग।

[फा. सं. एनएच-12037/467/92/डब्ल्यू (एम ए एच)(खंड II)]

प्रफुल कुमार, महानिदेशक (सड़क विकास) एवं अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 2000

S.O. 357(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section 2 of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares the highways specified in the table below to be national highways.

The said highways now declared to be national highways shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the serial No. and the National Highway No. indicated in columns (1) and (2) respectively, of the said Table.

TABLE

Serial number in the schedule to the National Highway Act.	National Highway No.	Description of National Highway
1	2	3
5B	4B	The highway starting from its junction with Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) internal road and terminating at its junction with National Highway No. 4 near km. 109 after crossing National Highway No. 17 at Palaspe.
5C	4C	The link starting from its junction with National Highway No. 4 near Kalamboli at km. 116 and terminating at its junction with National Highway 4B near km. 16.687.

[F. No. NH-12037/467/92/W (MAH) (Vol. II)]

PRAFULLA KUMAR, Director General
(Road Development) & Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.